## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 666 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 25 / 09 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504003682014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

### वि रू द्ध

बनवारी पिता अजबराव, उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नं. 1 ढीमर मोहल्ला आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

### <u>-: ( नि र्ण य ) :-</u>

# (आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 20. 09.2014 को 07:50 बजे या उसके लगभग रेल्वे फाटक रमली गेट के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 13½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.09. 2014 को सहायक उप निरीक्षक जी.एस. ठाकुर को गिरफ्तारी वारंटी तामिल हेतु रमली जा रहा था। तभी रमली गेट के पास उसे एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिससे पूछताछ करने पर वह भागने लगा जिसे हमराह आरक्षक की मदद से पकड़ा गया एवं तलाशी लेने पर उसके दांहिने तरफ कमर में एक लोहे की छुरी मिली तथा उस व्यक्ति ने अपना नाम बनवारी बताया। अभियुक्त ने छुरी रखने बाबत कोई कागजात नहीं होना बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 760/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की

गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2014 को 07:50 बजे या उसके लगभग रेल्वे फाटक रमली गेट के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 13½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 जी.एस. ठाकुर (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 20. 09.2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को वारंटी की तलाश हेतु रमली तरफ जा रहा था। तभी रमली गेट के पास एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में दिखा जिसकी तलाशी लिए जाने पर उसकी दांहिनी कमर में एक लोहे की छुरी मिली जिससे लायसेंस पूछने पर उसने लायसेंस नहीं होना बताया। जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 760/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त की थी।
- 6 यादोराव (अ.सा.—1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

- 7 साक्षी लुगरया के अदम पता हो जाने से उसकी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.—1) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर जी.एस. ठाकुर (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- जी.एस. टाकुर (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में वारंटी की तलाश के दौरान रमली गेट पर अभियुक्त को संदिग्ध अवस्था में देखे जाने पर उसकी तलाशी लिया जाना एवं अभियुक्त की दांहिने कमर से एक लोहे की छुरी जप्त कर एवं उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसे आज इस बात का ध्यान नहीं है कि उसके साथ कौन-कौन गया था। वह गवाहों को साथ लेकर नहीं गया था। इस सुझाव को सही बताया है कि किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति ने यह नहीं बताया था कि अभियुक्त हाथ में छुरी लेकर लोगों को डरा रहा था। जप्तशुदा आयुध की नाप उसने टेप से की थी लेकिन जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं किया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफतारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 07:50 बजे एवं गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी का समय 08:00 बजे लेख है। मात्र दस मिनट में अभियुक्त की तलाशी लेकर उससे लोहे की छूरी जप्त करना, मौके पर नापजोप करना, सीलबंद करना असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक अवश्य प्रतीत होती है। प्रकरण में मात्र वापसी रोजनामचा सान्हा प्रस्तृत किया गया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि मौके पर अभियुक्त से कथित आयुध जप्त कर उसे सीलबंद किया गया हो। उपर्युक्त परिस्थितियों में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।
- 9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2014 को 07:50 बजे या उसके लगभग रेल्वे फाटक रमली गेट के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 13½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

अतः अभियुक्त बनवारी को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 11 चूंकि अभियुक्त न्यायालय की अभिरक्षा में है। अतः उसे रिहा किया जावे।
- 12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)